

विधि एवं न्याय मंत्रालय

मांग संख्या 62

विधि एवं न्याय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

		बजट, 2003-2004			संशोधित, 2003-2004			बजट, 2004-2005		
मुख्य शीर्ष		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व पूंजी जोड़		120.00	470.17	590.17	105.00	518.70	623.70	140.00	1219.70	1359.70
		...	0.55	0.55	...	7.02	7.02	...	1.02	1.02
		120.00	470.72	590.72	105.00	525.72	630.72	140.00	1220.72	1360.72
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं										
1.01	विधि कार्य विभाग	2052	...	13.97	13.97	...	13.90	13.90	...	13.92
1.02	विदेशीमुद्रा के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण (एटीएफई)	2052	...	0.35	0.35	...	0.30	0.30	...	0.33
1.03	विधायी विभाग	2052	...	5.24	5.24	...	5.19	5.19	...	5.21
1.04	न्याय विभाग	2052	...	0.69	0.69	...	0.71	0.71	...	0.65
1.05	अन्य	2052	...	5.80	5.80	...	5.98	5.98	...	5.98
				जोड़	...	26.05	26.05	...	26.08	26.08
2. राज्य चुनाव के अंग										
2.01	चुनाव	2015	818.38	818.38
2.02	सामान्य चुनावी स्वर्च	2015	...	395.00	395.00	...	435.00	435.00	...	231.62
2.03	मतदाताओं को पहचान-पत्र जारी करना	2015	...	5.00	5.00	...	15.00	15.00	...	100.00
				जोड़	...	400.00	400.00	...	450.00	450.00
3. राजकोषीय सेवाएं										
3.01	आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण	2020	...	22.19	22.19	...	20.88	20.88	...	22.52
3.02	राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण	2020	2.00	2.00	...	2.61
				जोड़	...	22.19	22.19	...	22.88	22.88
4. न्याय प्रशासन										
4.01	राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी	2014	...	0.01	0.01	...	0.80	0.80	...	1.05
4.02	शहरी सिविल न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण	2014	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...
4.03	विशेष न्यायालय	3601	...	1.70	1.70	...	1.00	1.00	...	1.00
4.04	अंतर्राष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र (आई.सी.ए.डी.आर.)	2014	...	2.22	2.22	...	2.22	2.22	...	0.01
4.05	न्यायपालिका के लिए आधारद्वारा संबंधी सुविधा हेतु बिना विधान मंडलों वाले संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान	2014	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...
4.06	अन्य व्यय	2014	...	14.10	14.10	...	12.17	12.17	...	12.62
				जोड़	8.00	18.03	26.03	8.00	16.19	24.19
5. अन्य प्रशासनिक सेवाएं										
5.01	न्यायपालिका के लिए आधार-द्वारा संबंधी सुविधाएं	3601	94.00	...	94.00	80.50	...	80.50	112.00	...
5.02	संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	3602	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	6.00	...
5.03	अन्य कार्यक्रम	2070	...	3.90	3.90	...	3.55	3.55	...	3.80
5.04	अन्य प्रशासनिक सेवाओं के लिए पूंजी परिव्यय	4070	...	0.55	0.55	...	7.02	7.02	...	1.02
				जोड़	100.00	4.45	104.45	86.50	10.57	97.07
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान										
		2552	12.00	...	12.00	10.50	...	10.50	14.00	...
		4552
				जोड़	12.00	...	12.00	10.50	...	10.50
कुल जोड़			120.00	470.72	590.72	105.00	525.72	630.72	140.00	1220.72
ग. आयोजना परिव्यय										
		विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.
1.	न्याय प्रशासन	32014	108.00	...	108.00	94.50	...	94.50	126.00	...
2.	एनईआर के लिए व्यय	22552	12.00	...	12.00	10.50	...	10.50	14.00	...
जोड़			120.00	...	120.00	105.00	...	105.00	140.00	...

1.01-1.04 इसमें विभागों के सचिवालय के साथ-साथ विदेशी मुद्रा विनिमय अपीलीय न्यायाधिकरण के व्यय के लिए प्रावधान किए गए हैं।

1.06 यह प्रावधान, राजभाषा खण्ड, जो केन्द्रीय अधिनियमों का हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने और उनके मुद्रण के लिए उत्तरदायी है तथा संगठित मुकदमा अभिकरण के सचिवालय व्यय के लिए किया गया है जो केन्द्रीय अभिकरण की योजना में सम्मिलित केन्द्रीय और राज्य सरकारों की ओर से उच्चतम न्यायालय में मुकदमों के संचालन के लिए जिम्मेवार है।

2.01 यह प्रावधान 14वीं लोक सभा के आम चुनाव के लिए है।

2.02 यह प्रावधान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को चुनाव व्यय से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार के हिस्से की प्रतिपूर्ति के लिए है। इसमें मतदाता सूचियाँ आदि की तैयारी और मुद्रण की लागत भी शामिल है।

2.03 यह प्रावधान मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करने पर हुए व्यय के सम्बन्ध में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को केन्द्रीय सरकार के हिस्से की प्रतिपूर्ति के लिए है।

3.01 आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना मुख्य आयकर आयुक्तों, आयकर महानिदेशकों, आयकर आयुक्तों, आयकर आयुक्तों अपील और आयकर उपायुक्तों अपील के निर्णयों और आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन की गई है।

3.02 राष्ट्रपति के अध्यादेश के तहत राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण की स्थापना, प्रत्यक्ष करों की वसूली, निर्धारण, संग्रहण और प्रवर्तन संबंधी विवादों के न्याय-निर्णयन तथा सेवाओं पर कर वसूली एवं माल पर सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की दरों और ऐसे कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ माल की कीमत संबंधी विवादों के न्याय-निर्णयन हेतु की गई है।

4.01 राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी 17 अगस्त, 1993 से एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित की गई थी। यह प्रावधान मुख्य रूप से उक्त अकादमी के कार्य-कलाप हेतु है।

4.02 यह प्रावधान चार महानगरों, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता तथा मुम्बई में न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण तथा नेटवर्किंग पर व्यय हेतु किया गया है।

4.03 यह प्रावधान राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों में परिवार-न्यायालयों पर होने वाले व्यय के लिए किया गया है।

4.04 अंतर्राष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र आई.सी.ए.डी.आर की स्थापना भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान के विभिन्न तरीकों द्वारा घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटान की तैयारी करने, उनका प्रचार करने, संवर्धन करने तथा लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई है।

4.05 यह प्रावधान, न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधा देने हेतु, बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता मुहैया कराने के लिए है।

4.07 यह व्यवस्था विधि अधिकारियों, विधि सलाहकारों और परामर्शदाताओं के लिए तथा निर्धनों को कानूनी सहायता मुहैया करवाने के लिए की गई है।

5.01 न्यायपालिका हेतु आधारभूत सुविधाओं की स्थापना संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना वर्ष 1993-94 से कार्यान्वित की गई है। इस योजना में सरकारी तथा आवासीय दोनों प्रकार के भवनों, जिनमें उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायालय भी है, का निर्माण शामिल है। इस प्रावधान में उच्च न्यायालय का कम्प्यूटरीकरण भी शामिल किया गया है। इसमें राज्यों से बराबर का हिस्सा लिया जाना अपेक्षित है।

5.02 यह प्रावधान न्यायपालिका को आधारभूत सुविधा देने हेतु विधानमंडलों वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अनुदान मुहैया कराने के लिए है।

5.03 **अन्य कार्यक्रम** इसके अंतर्गत विधि आयोग, अंतर्राष्ट्रीय विधि संघ और विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा कानूनी पुस्तकों तथा पत्रिकाओं को हिन्दी भाषा में प्रकाशित करने का प्रावधान किया गया है।

5.04 यह प्रावधान विधायी प्रारूपण और अनुसंधान संस्थान, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के विभिन्न बैंचों तथा राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण के लिए भूमि अधिग्रहण तथा भवनों के निर्माण के लिए है।

6 यह प्रावधान उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों तथा सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों के लिए किया गया है।